विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 12 | रायपुर, दिनांक 16 APR 2026

प्रति,

1. M/s Uday Sponge & Power Pvt.Ltd.,
Director - Shri Hemant Tayal,
Vill. - Bhumia Sankara, Post - Tilda, Raipur
Add. - CB-4 Romanesque Villas,
G.E. Road, Labhandi Raipur (C.G.) 492001
Mob.No. - 9753790000, 9753000770

2. अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण कमांक / 04 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक (रायपुर ग्रामीण क्षेत्र), छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– Regarding frequent power cut in our 33 KV feeder.

प्रकरण क्रमांक / 04 / रायपुर(ग्रा.) / 2026

M/s Uday Sponge & Power Pvt.Ltd., ...आवेदक
Director - Shri Hemant Tayal,
Vill. - Bhumia Sankara, Post - Tilda, Raipur
Add. - CB-4 Romanesque Villas,
G.E. Road, Labhandi Raipur (C.G.) 492001
Mob.No. - 9753790000, 9753000770

विरूद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय
(दिनांक 16 / 04 / 2026 को घोषित)

1. आवेदक M/s Uday Sponge & Power Pvt.Ltd., द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 16.03.2026 यह है कि

We M/s Uday Sponge And Power Pvt. Ltd. Having BPNo. 1022616 & meter No S1000883 having cont. Demand of 300 KVA are your 33 KV consumers. Our plant is located At - Sankara, Post - Tilda, Dist - Raipur (C.G.). Sir from 21 February till date we are exprecing frequent power cut in our plant especially in night. The list of which I have attached. Sir because of this power cut we are not able to run our plant and in spite of repeated information to the relevant authority the issue is not resolved.

They are saying there is some problem in 33 KVA sigma line. Because of which this is happening. Our plant HOD Mr. Bhanu Pratap and line man Mr. Tandan also have performed the line survey and they have alos found that all poles are ok and trees cutting is also done and no sparking is observed either in day or night. In spite of all the

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

this sir we are continues facing power outrage and they are saying that these might be insulator problem etc.

Sir, I request you please look in to the matter and help us run the plant and in sankara, sub-station there is 33 KV line coming from kuthrel also so sir I request you to kindly give us power from that line till the maintains of sigma line is not done. Sir I hope you will take is matter on priority.

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्टे. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 22 दिनांक 06.04.2026 को सूचित किया है कि :–

मेसर्स उदय स्पांज एण्ड पॉवर, ग्राम भूमिया सांकरा विरूद्ध अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर सूचना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है । उक्त सूचना पत्र की कंडिका 02 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक (i) से (iii) के संबंध में प्रत्युत्तर आवेदक को प्रस्तुत करने के साथ ही फोरम कार्यालय में दिनांक 06.04.2026 तक दो प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उपरोक्त निर्देशानुसार सहायक अभियंता रायपुर (ग्रामीण) उपसंभाग के द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण का पूर्ण निराकरण कर दिया गया है एवं उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से इसकी सूचना दे दी गई है । जिसमें उनके द्वारा संतुष्ट होना पाया गया । अतः यह पत्र आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 08.04.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि ग्राम सांकरा, पोस्ट तिल्दा, रायपुर स्थित आवेदक कंपनी के परिसर में मेसर्स उदय स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेज, डायरेक्टर अक्षित तायल के नाम पर 300 के.व्ही.ए. भार का उच्चदाब (33 के.व्ही.) विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1022616 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदक को 33 के.व्ही. सिमगा फीडर के माध्यम से विद्युत सप्लाई उत्तरवादी द्वारा दी जाती है

4. यह कि आवेदक के अनुसार विगत 21 फरवरी 2026 से शिकायत दिनांक 16.03.2026 तक 33 के.व्ही. सिमगा फीडर में लगातार विद्युत आपूर्ति नियमित अंतराल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

पर बाधित होती रही है जिसके कारण उसके द्वारा अपने उद्योग का संचालन सही प्रकार से नहीं किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । उत्तरवादी को 33 के.व्ही. लाईन में होने वाले इस व्यवधान के संबंध में बार–बार सूचित किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा लाईन में इंसुलेटर संबंधी समस्या का होना तो बताया जा रहा है लेकिन इस समस्या के निराकरण के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है । आवेदक के अनुसार उसके द्वारा स्वयं भी अपने स्तर पर लाईन में खराबी की जांच करने का प्रयास किया गया लेकिन लाईन में किसी प्रकार की खराबी दर्शित नहीं हुई ।

5. यह कि अपने उच्चदाब विद्युत कनेक्शन को विद्युत प्रदाय करने वाले 33 के.व्ही. सिमगा फीडर में लगातार विद्युत व्यवधान की समस्या के बने रहने एवं समस्या के निराकरण के लिए उत्तवादी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने से क्षुब्ध होकर एवं अविलंब विद्युत लाईन की खराबी को दूर करते हुए निरंतर विद्युत सप्लाई किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 22 दिनांक 06.04.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक की विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायत प्राप्त होने के बांद 33 के.व्ही. सिमगा लाईन का मेंटेनेंस कार्य करवाया गया जिससे यह जानकारी संज्ञान में आयी कि 33 के.व्ही. रायपुर फीडर एवं 11 के.व्ही. बैकुंठ फीडर आपस में चिपक रहे हैं जिससे विद्युत लाईन में बार–बार व्यवधान की समस्या आ रही है । दिनांक 09.03.2026 को गडरिया नाला भूमिया में 13 मीटर का एच. बीम पोल लगाकर दोनों लाईनों को सुरक्षित दूरी पर कर दिया गया है जिससे विद्युत लाईन में बार–बार होने वाले व्यवधान की समस्या समाप्त हो गयी है ।

7. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदक की, उसके 33 के.व्ही. फीडर में हो रहे विद्युत व्यवधान की समस्या के निराकरण में उत्तरवादी द्वारा सप्लाई कोड में प्राविधित अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन किया गया है ।

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

8. यह कि सप्लाई कोड की कंडिका 5.6 यथा "The licensee shall take all reasonable precautions to ensure continuity of supply of electrical energy to the consumer." के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक उपभोक्ता को विद्युत

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगा लेकिन फोर्स मेजर परिस्थितियों के कारण होने वाले विद्युत व्यवधानों से उपभोक्ता को हुए किसी नुकसान या असुविधा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी के अनुसार आवेदक की विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर विद्युत लाईन की खराबी का पता लगाने लगातार प्रयास किया जाता रहा । अंततः विद्युत लाईनों के आपस में चिपकने का तथ्य संज्ञान में आने के बाद अविलंब 13 मीटर का एच. बीम पोल लगाकर लाईनों को सुरक्षित दूरी पर करते हुए आवेदक की समस्या का समाधान कर दिया गया एवं विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी गयी है । आवेदक द्वारा भी फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा स्वयं अपने स्तर पर विद्युत लाईन में आयी खराबी ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन लाईन में किसी खराबी की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ।

आवेदक एवं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से आवेदक की शिकायत के निराकरण में उत्तरवादी द्वारा किसी लापरवाही का किया जाना अथवा अनावश्यक तरीके से विलंब किया जाना दर्शित नहीं होता है ।

9. यह कि फोरम के समक्ष सुनवाई दिनांक 08.04.2026 को उपस्थित आवेदक द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विद्युत व्यवधान संबंधी उनकी समस्या का समाधान उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है जिससे वे संतुष्ट हैं ।

10. यह कि आवेदक द्वारा फोरम को प्रेषित पत्र दिनांक 08.04.2026 में उत्तरवादी की कार्यवाही से स्वयं के संतुष्ट होने एवं वर्तमान में विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी समस्या के नहीं होने संबंधी किए गए लेख के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

11. आदेश पारित ।

12. प्रकरण निराकृत ।

13. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर
(ग्रामीण)